



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062026-273851
CG-DL-E-26062026-273851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3218]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3218]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3351(अ).— यतः मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, की धारा 3 के तहत, गुजरात राज्य में अहमदाबाद के ग्राम त्रागढ़ और छारोडी, तालुका डस्करोई में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना हेतु प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्रीय सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1011 (अ) तारीख 22 जून, 2007 और का.आ. 1577 (अ) तारीख 19 सितम्बर, 2007 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.5623 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित किया था और 22.15 हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की थी;

और, यतः, मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 6.7919 हेक्टेयर भूमि के अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, गुजरात सरकार ने दिनांक 26 नवंबर, 2025 के पत्र सं. आईसी/ आईएनएफआरए/ एसईजेड/ एनओसी/ 7528148 के तहत प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

और, यतः, कांडला एसईजेड के विकास आयुक्त ने विशेष आर्थिक जोन में 6.7919 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी संशोधित भूखंड संख्या के आधार पर समूचे 25.9163 हेक्टेयर को पुनः अधिसूचित करने का अनुरोध किया है ;

और, यतः, विशेष आर्थिक जोनों के लिए अनुमोदन बोर्ड ने पिछली अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए संशोधित भूखंड संख्या के साथ नवीनतम अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की है ;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के अन्तर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा पिछली अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में उक्त विशेष आर्थिक जोन में 6.7919 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिससे परिणामतः अधिसूचित क्षेत्र 25.9163 हेक्टेयर हो जाएगा। 6.7919 हेक्टेयर को अनधिसूचित करने के बाद, भूखंड संख्या और एसईजेड के क्षेत्र, निम्नलिखित तालिका में हैं, अर्थात्:-

एसईजेड क्षेत्र के लिए तालिका

क्रम सं.	नगर नियोजन योजना सं.	भूखंड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	64(ट्रागाड)	5	9.9503
2.		7	
3.		8	
4.		13	
5.		14	
6.		16	
7.		17	
8.		20	
9.		22	
10.		23/2	
11.		24	
12.		26	
13.		27	
14.		32	
15.		34	
16.		35	
17.		37	
18.		40	
19.		44	
20.		46	
21.		48	

22.		49	
23.	36 (छरोडी-त्रागोड़)	58/2	15.9660
24.		59	
25.		62	
26.		64/1	
27.		64/2	
28.		70	
29.		71	
30.		72	
31.		74	
32.		75	
33.		76	
34.		81	
35.		82	
36.		85	
37.		88	
38.		89	
39.		111	
40.		112/2	
41.		122/2	
42.		123/2	
43.		124	
44.		125	
45.		131/3	
46.		138	
एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			25.9163

[फा. सं. एफ.2/494/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(SEZ SECTION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3351(E).— Whereas, M/s Ganesh Housing Corporation Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) hereinafter referred to as the Act, to set up a Sector Specific SEZ for Information Technology/Information Technology Enabled Services at Village Tragad and Chharodi, Taluka Dascroi, Ahmedabad in the State of Gujarat;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 10.5623 hectares and increase of 22.15 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1011(E) dated 22nd June, 2007 and S.O. 1577(E) dated 19th September, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Ganesh Housing Corporation Limited has now proposed for de-notification of 6.7919 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Gujarat has given its approval to the proposal vide letter no. IC/INFRA/SEZ/NOC/7528148 dated 26th November, 2025;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Kandla SEZ has recommended the proposal for decrease in area of 6.7919 hectare at the Special Economic Zone and requested for re-notification of the entire 25.9163 hectares based on the revised plot numbering issued by Ahmedabad Urban Development Authority;

AND, WHEREAS, the Board of Approval for Special Economic Zones recommended for issuance of fresh notification with revised plot number superseding the earlier notifications;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government in supersession of previous notifications hereby de-notifies an area of 6.7919 hectare at above special economic zone, thereby making the resultant notified area as 25.9163 hectares. The plot numbers and the areas of SEZ, after de-notifying 6.7919 hectare, are given below in the table, namely: -

TABLE FOR SEZ AREA

Sl. No.	Town Planning Scheme No.	Plot No.	Area (in Hectares)
1.	64(TRAGAD)	5	9.9503
2.		7	
3.		8	
4.		13	
5.		14	
6.		16	
7.		17	
8.		20	
9.		22	
10.		23/2	
11.		24	
12.		26	
13.		27	
14.		32	

15.		34	
16.		35	
17.		37	
18.		40	
19.		44	
20.		46	
21.		48	
22.		49	
23.		58/2	
24.		59	
25.		62	
26.		64/1	
27.		64/2	
28.		70	
29.		71	
30.		72	
31.		74	
32.		75	
33.		76	
34.	36 (CHHARODI-TRAGOD)	81	15.9660
35.		82	
36.		85	
37.		88	
38.		89	
39.		111	
40.		112/2	
41.		122/2	
42.		123/2	
43.		124	
44.		125	
45.		131/3	
46.		138	
Total area of SEZ			25.9163

[F. No. F.2/494/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.